फैक्स/अति आवश्यक/आजही निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16)2013 दिनॉकः दिसम्बर 03 ,2013

आदेश

उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल 223 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में निम्नलिखित 08 उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर निम्नलिखित 08 उपनिरीक्षकगण को तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	उ0नि0 का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पीटीसी बैच	नियुक्ति जनपद/इकाई	जोन	भर्ती का वर्ष
1	3	4	5			6		
1	762462245	सुखवीर सिंह चन्देल	राज नरायण सिंह	08–07–1954	1975–76	दस्यु उन्मूलन अभियान कानपुर	KNR	2005
2	812150160	आलोक प्रभाकर अवस्थी	राम शंकर अवस्थी	12–07–1956	1980–81	इटावा	KNR	2006
3	822280606	योगेश कुमार रोहेल	सूरजमल	24–01–1956	1981–82	मुजफ्फरनगर	MRT	2007
4	842410180	वेद प्रकाश चतुर्वेदी	श्रीराम चतुर्वेदी	11–02–1958	1982–83	जालौन	KNR	2008
5	792411129	सतेन्द्र सिंह राठौर	सूरज पाल सिंह	20–07–1959	1982–83	कानपुर नगर	KNR	2010
6	842460286	राम लाल कामले	रत्ता लाल	02–02–1955	1982–83	सुल्तानपुर	LKW	2010
7	822358668	बृजलाल वर्मा	पंचम लाल वर्मा	20–05–1958	1981–82	फिरोजाबाद	AGA	2011
8	762512373	ओम प्रकाश सिंह	विस्सा राम	10–01–1956	1989–90	मेरठ	MRT	2012

3– पदोन्नति पाये उपरोक्त उपनिरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये निरीक्षकगण की निरीक्षक पद पर आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण एवं उनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

4— पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मी द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र दिया जायेगा कि उनके विरूद्ध पदोन्नति के आदेश के दिनॉक तक कोई विभागीय कार्यवाही/जॉच अथवा अपराधिक अभियोग लम्बित/प्रचलित नहीं है। यदि है तो कर्मी द्वारा उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। यदि किसी कर्मी द्वारा घोषणा—पत्र में विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोग लम्बित होने की कोई जानकारी दी जाती है अथवा वर्तमान में कोई कर्मी निलम्बित चल रहा हो तो उन्हें कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके प्रकरण समस्त विवरण के साथ इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

5— सम्बन्धित कर्मियों को सचेत किया जाता है कि यदि उनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो उनका पदोन्नति आदेश निरस्त कर उसके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट WWW.uppolice.up.nic.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक,(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सदस्य/सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,उ0प्र0 लखनऊ।
2— पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर/मेरठ/इलाहाबाद/लखनऊ/आगरा जोन्स उ0प्र0।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर/सहारनपुर/झॉसी/फैजाबाद/आगरा/मेरठ, उ0प्र0।
5— वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, इटावा/मुजफ्फरनगर/जालौन/कानपुर नगर/सुल्तानपुर/फिरोजाबाद एवं मेरठ।
6— पुलिस अधीक्षक, दस्यु उन्मूलन अभियान, कानपुर नगर ।
7— पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि वे उक्त आदेश को तत्काल उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट WWW.uppolice.up.nic.in पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

————